"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2014—— कार्तिक 5, शक 1936

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक/ एफ 15-9/15-02/2013/3.—— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 43-क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"43-ख. किसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाना.-

(1) अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति (अशासकीय) को भी किसी ऐसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत कर सकेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति (अशासकीय), इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने हेतु पात्र नहीं होगा, यदि :-

(क) वह, उस सहकारी सोसाइटी अथवा बैंक, यथास्थिति, के बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव नहीं रखता हो ;

(ख) वह, नियम 44 में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी से ग्रसित हो;

(ग) वह, किसी न्यायालय, लोक आयोग अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में, दण्डित किया गया हो ।

(3) इस नियम के अन्तर्गत छानबीन समिति; किसी ऐसे पात्र व्यक्ति (अशासकीय) के नाम की अनुशंसा रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में करेगा, जैसा कि उसके द्वारा उचित समझी जाये :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, उसके द्वारा इस नियम के अधीन प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को, किसी भी समय, उस संबंध में बिना कोई कारण बताये, हटा सकेगा ।

(4) उप-नियम (3) में उल्लिखित छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिसका कार्य क्षेत्र एक जिला तक सीमित हो-

(एक)	जिले का कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(दो)	जिले का उप/सहायक रजिस्ट्रार	-	सदस्य (पदेन सचिव)
(तीन)	ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्पादित कार्यों से सम्बंधित प्रशासकीय विभाग का जिलाधिकारी	-	सदस्य

किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्पादित कार्य (कारोबार), एक से अधिक विभाग से संबंधित होने की दशा में, इस प्रयोजन हेतु ऐसे विभागों से कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी, सदस्य होगा ।

(ख) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक जिले किन्तु एक राजस्व संभाग तक सीमित हो-

(एक)	राजस्व संभाग का आयुक्त	-	अध्यक्ष
(दो)	संभाग का संयुक्त रजिस्ट्रार	-	सदस्य (पदेन सचिव)
(तीन)	ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्पादित कार्यों से सम्बंधित प्रशासकीय विभाग का जिलाधिकारी	-	सदस्य

किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्पादित कार्य (कारोबार), एक से अधिक विभाग से संबंधित होने की दशा में, इस प्रयोजन हेतु ऐसे विभागों में से संभागायुक्त द्वारा नामांकित एक अधिकारी, सदस्य होगा ।

(ग) ऐसी सोसाइटी के मामले में, जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार राज्य में एक से अधिक राजस्व संभाग तक हो-

(एक)	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,सहकारिता विभाग	-	सदस्य
(तीन)	रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, छत्तीसगढ़	-	सदस्य (पदेन सचिव)

रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, किसी ऐसी सोसाइटी के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, किसी व्यक्ति (अशासकीय) को प्राधिकृत कर सकेगा।"

2. नियम 44 के उप–नियम (1) के खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(ठ) अपेक्षित सेवा, जो कि ऐसी सोसाइटी की उप–विधियों में उपबंधित हो, के न्यूनतम स्तर का उपभोग नहीं किया गया हो;

(ड) निर्वाचन के पश्चात् अंतिम पांच वर्ष पूर्व से सोसाइटी का अंशधारक है और ऐसी सोसाइटी द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण सभा की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं रहा हो।"

3. नियम 49–ख के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"अध्याय पांच–क

49–ग. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों से संबंधित नियम.–

(1) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संचालन क्षेत्र में निवासरत् मौरूसी कृषक को छोड़कर ऐसे व्यक्तिगत जमाकर्ता, संबंधित सोसाइटी के संचालन क्षेत्र में कार्यरत जमाकर्ता समूह या ऋणग्रहिता समूह भी, जिन्होंने संबंधित सोसाइटी के बचत खाते में, न्यूनतम रूपये एक लाख, कम से कम एक वर्ष की कालावधि के लिये, जमा किया हो, ऐसी सोसाइटी का अंशधारक बनने हेतु पात्र होंगे। ऐसे जमा की अपेक्षित न्यूनतम जमा राशि एवं अवधि, रजिस्ट्रार द्वारा, समय–समय पर, पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन यथा उल्लिखित जमाकर्ता, यदि वह इस प्रकार इच्छुक है कि सोसाइटी का अंशधारक बने, तो वह ऐसी सोसाइटी द्वारा विहित या रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप, यदि कोई हो, में संबंधित सोसाइटी को आवेदन कर सकता है तथा उसे, सोसाइटी द्वारा अधिनियम की धारा 57–ख की उप–धारा (6) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अधीन सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जायेगा। यदि वह अपेक्षित न्यूनतम जमा राशि रखने में विफल रहता है तो वह, पात्रता उस तारीख से पुनः अर्जित कर सकेगा जिसके पूर्व उसके द्वारा निरन्तर एक वर्ष की कालावधि के लिये न्यूनतम अपेक्षित शेष रखा गया हो। और, सदस्यता की पात्रता के संबंध में ऐसी सोसाइटी के उप–विधियों के उपबंध, ऐसे जमाकर्ता सदस्य, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, पर लागू नहीं होंगे।

(2) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के मामले में, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया हो, तो सोसायटी के बोर्ड में राज्य सरकार का एक नामिती होगा, जो निम्नानुसार होगा; अर्थात्:–

(क) राज्य सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी जो संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में, संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में, जिले के सहायक/उप रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो उप संपरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो।

उपरोक्त शासकीय नामिती, संबंधित सोसाइटी के बोर्ड की बैठक में भाग ले सकेंगे:

परन्तु ऐसे शासकीय नामिती को सोसाइटी के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

4. नियम 50 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"50. संपरीक्षा के लिये प्रक्रिया.–

(1) रजिस्ट्रार, सभी प्रकार के सहकारी सोसाइटी के लिये, व्यवसाय के आकार, वर्गीकरण, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, अधिनियम की धारा 58 की उप–धारा (3) एवं (4) के प्रावधानों के अधीन, संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म का एक पैनल तैयार करेगा।

(2) संबंधित सोसाइटी का साधारण निकाय, अपने साधारण बैठक में चालू या आगामी वित्तीय वर्ष में, संपरीक्षण के प्रयोजन हेतु, संपरीक्षकों या संपरीक्षा फर्म के अनुमोदित पैनल में से, इस संबंध में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संपरीक्षक नियुक्त करेगा:

परन्तु लंबित संपरीक्षण, यदि कोई हो, के मामले में, सोसाइटी का साधारण निकाय, पूर्व वित्तीय वर्ष की लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करने हेतु, अनुमोदित पैनल में से, संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्मों की नियुक्ति कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कोई भी संपरीक्षक, सोसाइटी विशेष के संपरीक्षण हेतु निरन्तर दो वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि के लिये, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) सोसाइटी, सामान्य निकाय द्वारा संपरीक्षक की नियुक्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर संपरीक्षक की नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को भी संसूचित करेगा।

(4) (क) संपरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में; चिट्ठे तथा लाभ–हानि खाते, उस दिनांक को यथाविद्यमान और उस अवधि के लिये जिस तक खातों की संपरीक्षा की जानी है, उनके द्वारा लेखा परीक्षण के आधार पर तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और यह भी वर्णित करेगा कि क्या संबंधित सोसाइटी की राय में या उसकी सर्वोतम जानकारी में और उसको प्रदत्त किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त संपरीक्षा रिपोर्ट की अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी, इस प्रकार अपेक्षित रीति से देते हैं और निम्नलिखित की सत्य और उचित स्थिति दर्शाते हैं, अर्थात्:–

(एक) चिट्ठे की स्थिति में, सहकारी वर्ष की समाप्ति पर जिस तक खाते बनाये गये और उसके द्वारा जांच की गई है, सोसाइटी के काम–काज की स्थिति की, और

(दो) लाभ हानि खाते की स्थिति में, सहकारी वर्ष के लाभ या हानि की।

(ख) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित वर्णित होगा, अर्थात्:–

(एक) क्या संपरीक्षक, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे, अभिप्राप्त कर चुका है;

(दो) क्या उसकी राय में अधिनियम, इन नियमों, सोसाइटी की उप–विधियों द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां और पंजियां, सोसाइटी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक ऐसा इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है; और

(तीन) क्या उसके द्वारा जांच किया गया चिट्ठा और लाभ हानि खाता, सोसाइटी के खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।

(ग) जहां उपरोक्त निर्दिष्ट किन्हीं भी मामलों का उत्तर नकारात्मक में या विशिष्टता के साथ दिया जाता है तो संपरीक्षा रिपोर्ट में, उत्तर के लिये कारण विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित के पूर्ण विवरण भी अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) सभी संव्यवहार जो अधिनियम, इन नियमों या सोसाइटी की उप–विधियों की उपबंधों के प्रतिकूल होना प्रतीत होते हैं;

(दो) सभी धनराशियां, जिन्हें सोसाइटी द्वारा खातों में लिखी जानी चाहिये थी, परन्तु, उन्हें खातों में नहीं लिखा गया है;

(तीन) सोसाइटी के व्यय या उसको देय धन की वसूली में कोई तात्विक अनुचितता या अनियमितता;

(चार) सोसाइटी से संबद्ध कोई धन या संपत्ति, जो डूबत या डूबने की शंका, संपरीक्षक को प्रतीत होता है;

(पांच) ऐसी सोसाइटियों, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मापदण्ड लागू होते हैं, के मामले में, आय के अभिज्ञान एवं आस्तियों के वर्गीकरण संबंधी विहित मापदण्डों के अनुपालन में सोसाइटी की चूक; यदि कोई हो; और

(छः) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये कोई अन्य मामले।

(ङ) रजिस्ट्रार निर्देशित कर सकेगा कि संपरीक्षा-रिपोर्ट का कोई भी भाग, जो उसे आपत्तिजनक प्रकृति का प्रतीत होता है या तथ्यों द्वारा न्यायोचित नहीं होना प्रतीत होता है, को हटाए और इस प्रकार हटाया गया भाग, संपरीक्षा रिपोर्ट का भाग नहीं माना जायेगा।

(च) रजिस्ट्रार, समय–समय पर, ऐसे प्ररूप और प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें खाता विवरण और जानकारी, सोसाइटी द्वारा संपरीक्षण हेतु तैयार की जायेगी।

(छ) संपरीक्षा पूरी होने पर ,संपरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, सोसाइटी को संपरीक्षा वर्गीकरण प्रदान करेगा। रजिस्ट्रार, यदि वह आवश्यक समझता है तो, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, संपरीक्षा वर्गीकरण को संशोधित कर सकेगा।

(5) यदि रजिस्ट्रार, उसको प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह, नये संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म को समनुदेशित करते हुए और समुचित कारण देते हुए, किसी ऐसी सोसाइटी के विशेष संपरीक्षण का आदेश कर सकेगा।

(6) प्रत्येक सोसाइटी, संपरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, उसमें संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(7) संपरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियां हिन्दी में होगी।

(8) संपरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित सोसाइटी के बोर्ड की बैठक के समक्ष विचारण हेतु रखी जायेगी और तत्पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, रजिस्ट्रार को निर्धारित समयावधि, जैसा कि अधिनियम की धारा 56 में उपबंधित है, के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(9) प्रत्येक शीर्ष सहकारी सोसाइटी का संपरीक्षा रिपोर्ट, राज्य विधानसभा के समक्ष ऐसी रीति में रखी जायेगी, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।"

5. नियम 50–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"50–क. संपरीक्षा शुल्क का उदग्रहण.–

(1) प्रत्येक सोसाइटी, जिसके लेखों का आडिट अधिनियम की धारा 58 के अधीन विभागीय संपरीक्षक द्वारा किया जाता हो, राज्य शासन को प्रत्येक सहकारी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखाओं की संपरीक्षा करने हेतु, ऐसे प्रभार का भुगतान करेगी, जो सोसाइटी की उस श्रेणी, जिसके अंतर्गत वह आती हो, के संबंध में अनुसूची में निर्धारित मान के अनुसार हो। यदि सनदी लेखाकारों के लिये संपरीक्षा शुल्क का मान, प्रतिपादित नहीं किया जाता है, तो संपरीक्षा शुल्क का संदाय, सोसाइटी द्वारा सनदी लेखाकारों को ऐसी शर्त के अध्यधीन किया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रुप से सहमति हो।

(2) विभागीय संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा की दशा में, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किये जाने वाले विहित प्ररूप में या साधारण डाक से सोसाइटी के पते पर भेजकर, उप–नियम (1) के अधीन सोसाइटी द्वारा देय प्रभार की संसूचना देगा।

(3) विभागीय संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा की दशा में, संपरीक्षा शुल्क का संदाय, चालान के माध्यम से किया जाएगा और सनदी लेखाकारों को सोसाइटी द्वारा शुल्क का संदाय ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हो अथवा जैसा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

(4) राज्य सरकार द्वारा उदग्रहित संपरीक्षा शुल्क, भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूल की जायेगी।"

6. नियम 50–ख को विलोपित किया जाये।

7. नियम 51 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"51–क. संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाना.–

अधिनियम की धारा 58 की उप–धारा (7) में यथा उपबंधित प्रत्येक शीर्ष सोसाइटियों के संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक शीर्ष सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर, अपनी संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य शासन को ऐसी रीति में, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगी।"

8. अध्याय—नौ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"अध्याय—नौ

अपील और पुनर्विलोकन

59. अपील तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया.—

(1) अधिकरण या रजिस्ट्रार को अपील तथा अधिकरण को पुनर्विलोकन के लिये आवेदन, अपीलार्थी या आवेदक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त अभिकर्ता द्वारा, अपील प्राधिकारी या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के कार्यालय में या तो स्वयं द्वारा व्यक्तिगत रुप से कार्यालयीन समय में, प्रस्तुत किया जाएगा या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) जब ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, किसी अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो अपीलार्थी या आवेदक, यथास्थिति, के इस प्रकार नियुक्ति करने के प्राधिकार पत्र को उसके साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) प्रत्येक अपील या पुनर्विलोकन के लिए, आवेदन के साथ आदेश, जिसके विरूद्ध अपील या पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है, की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(4) प्रत्येक अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन—

(क) या तो टंकित किया हुआ या सुवाच्य रूप से स्याही से हस्तलिखित होगा;

(ख) अपीलार्थी या आवेदक का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगा तथा विरोधी, यथास्थिति, का नाम और पता भी विनिर्दिष्ट करेगा;

(ग) वर्णित करेगा कि किसके द्वारा आदेश, जिसके विरूद्ध अपील या पुनर्विलोकन का आवेदन किया गया है, दिया गया था;

(घ) उन आधारों को स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा जिन पर अपील या आवेदन किया गया है;

(ङ) अनुतोष, जिसका अपीलार्थी या आवेदक दावा करता है, यथार्थतः वर्णित करेगा; और

(च) आदेश, जिसके विरूद्ध अपील या पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है, की तिथि प्रदत्त करेगा।

(5) अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, अधिकरण या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, उस पर उसकी प्राप्ति तिथि पृष्ठांकित करेगा।

59—क. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते, निबंधन तथा सेवा की अन्य शर्ते.—

(1) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को अधिकरण में नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति की दशा में, संदेय वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य परिलब्धियां– जब अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, इस प्रकार उसकी नियुक्ति के समय, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश है या विभागीय सदस्य है तथा अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वह जिला न्यायाधीश के पद से या सहकारी विभाग से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसे लागू निबंधन और शर्तों के अनुसार, सेवानिवृत्त होता है तो भी वह, उसके कार्यकाल जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, पूरा होने तक इस प्रकार बना रहेगा और वह सेवानिवृत्ति की तिथि से अंतिम आहरित वेतन और मंहगाई वेतन और मंहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता और ऐसे अन्य समुचित लाभ, अन्तिम वेतन के अनुसार, ऐसी दरों पर, जो जिला न्यायाधीश या सहकारी विभाग के अधिकारी को समय–समय पर अनुज्ञेय हो, पेंशन को कम करते हुए (इसमें पेंशन का ऐसा कोई भाग सम्मिलित है, जो संराशीकृत किया गया हो) तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, के समतुल्य पेंशन अपने वेतन और भत्तों के रूप में, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां–

(एक) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस प्रकार अपनी नियुक्ति के समय, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है और पेन्शन, उपादान (ग्रेच्युटी) के रूप में या अन्यथा कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो वह, ऐसा मासिक वेतन (मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुए), जो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के समय अनुज्ञेय था और ऐसे समस्त अन्य भत्तों का, जो उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को समय–समय पर अनुज्ञेय है, पेन्शन को कम करते हुए (जिसमें पेन्शन का ऐसा भाग सम्मिलित है जो संराशीकृत किया गया हो) तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, के समतुल्य पेंशन अपने वेतन और भत्तों के रूप में, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(दो) जब अधिकरण का अध्यक्ष, इस प्रकार अपनी नियुक्ति के समय, जिला न्यायाधीश है तो वह वही वेतन तथा भत्तों और अन्य पर्क (भत्तों) एवं सुविधाओं का हकदार होगा जो उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में) के रूप में अनुज्ञेय है।

(तीन) कोई विभागीय सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय सहकारिता विभाग का अधिकारी है तो वह वही वेतन तथा भत्तों का हकदार होगा, जो सहकारिता विभाग के अधिकारी के रूप में उसे अनुज्ञेय है।

(चार) अशासकीय सदस्य 1000/– रूपये प्रतिदिन का मानदेय प्राप्त करेगा–

(क) अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, अन्य लाभ और पात्रतायें एवं अनुशासनिक विषयों के सभी मामलों में, अधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, समतुल्य पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू नियमों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा शासित होंगे।

(3) पदावधि– अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिनियम की धारा 77 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार 5 वर्ष से अनधिक या 67 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक पद धारण कर सकेंगे।

(4) अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय– अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुख्यालय बिलासपुर में होगा।

(5) कार्य का समय तथा अवकाश– अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय और अवकाश ऐसे होंगे जैसा कि विनियम में विनिर्दिष्ट किये जाएं:

परन्तु विनियम बनने तक, अध्यक्ष तथा सदस्यों और उनके कार्यालय का कार्य का समय एवं अवकाश, यथावत रहेंगे और ऐसे सार्वजनिक अवकाश मान्य होंगे जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किये जायें और ऐसे स्थानीय अवकाश मान्य होंगे जो कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर घोषित किए जाएं।

(6) अवकाश–

(एक) अध्यक्ष तथा सदस्य, कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के 1/11वें भाग तक पूर्ण वेतन तथा भत्ते पर अर्जित अवकाश के हकदार होंगे:

परन्तु वे ऐसे अवकाश, अर्जित नहीं कर पायेंगे जब कुल अर्जित अवकाश, 300 दिन से अधिक हो जाए:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य, जो अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के समय, राज्य सरकार की सेवा में थे, की अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख पर उसके खाते में जमा अवकाश अग्रनीत की जाएगी और वह, अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उसकी सेवावधि के दौरान, ऐसा अवकाश ले सकेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष तथा सदस्य, जो अधिकरण से सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में, अधिकतम 300 दिन के अध्यधीन रहते हुए, अवकाश वेतन के समतुल्य नकद के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(दो) अध्यक्ष तथा सदस्य, एक वर्ष में तेरह दिन की आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(तीन) अन्य प्रकार की अवकाश के मामले में, अध्यक्ष तथा शासकीय सदस्य ऐसी नियुक्ति के पूर्व यथा लागू नियमों तथा प्रथाओं द्वारा शासित होंगे।

(7) अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी– अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु, अध्यक्ष होगा।

(8) यात्रा भत्ता–

(क) अध्यक्ष, जब वह दौरे पर हो या उसका स्थानांतरण हो, (जिसमें अधिकरण में पद ग्रहण करने या अधिकरण में उसकी अवधि की समाप्ति पर उसके गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा सम्मिलित है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामानों का परिवहन तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के लिए, उन्हीं मानों तथा दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि शासन के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है।

(ख) सदस्य; यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वैयक्तिक सामानों का परिवहन और इस प्रकार के अन्य मामलों के लिये, उन्हीं मानों और दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(ग) अधिकरण के अधिकारियों तथा सदस्यवृंद की सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के उसी संवर्ग के अधिकारियों और सेवकों को लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

(9) अवकाश यात्रा रियायत– अध्यक्ष या सदस्य, अवकाश यात्रा रियायत, उन्हीं दरों और मानों पर तथा उन्हीं शर्तो पर, प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो रूपये 22400–525–25,400 या उससे अधिक के मान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "ए" के अधिकारी को लागू है।

(10) चिकित्सीय उपचार की सुविधा– अधिकरण का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य और उनके कुटुम्ब के सदस्य, शासकीय अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार और आवास की ऐसी सुविधा के हकदार होंगे जो कि क्रमशः प्रमुख सचिव और राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को अनुज्ञेय है।

(11) आवास की सुविधा–

(क) अध्यक्ष तथा सदस्य, शासकीय निवास स्थान के लिए, ऐसे नियमों के अनुसार हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर बनाये जाएं.

(ख) अध्यक्ष, शासन के विभागाध्यक्ष के अनुरूप शासकीय टेलीफोन की सुविधा के हकदार होंगे और सदस्य, उसी सुविधा के हकदार होंगे जो राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को उपलब्ध है।

(12) वाहन सुविधा –

(एक) अध्यक्ष तथा अधिकरण के सदस्यों को, शासकीय कार की सुविधा प्राप्त करने तथा उपयोग करने की पात्रता होगी।

(दो) अधिकरण के रजिस्ट्रार को, शासकीय कार की सुविधा प्राप्त करने तथा उपयोग करने की पात्रता होगी।

(तीन) अधिकरण के कार्यालय में स्टॉफ कार भी होगा।

(13) भविष्य निधि– अध्यक्ष तथा विभागीय सदस्य, अधिवार्षिकी की आयु तक, उस भविष्य निधि, जिसमें वे अध्यक्ष या शासकीय सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के पूर्व अभिदाय कर रहे थे, को विनियमित नियमों के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे।

(14) वित्तीय शक्तियां– अध्यक्ष को विभागाध्यक्षों के अनुरूप ऐसी सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के अधीन प्रत्यायोजित की गई हो।

(15) नियंत्रण तथा अनुशासन– अधिकरण के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, अध्यक्ष के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

(16) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध, अधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए, लागू होंगे–

(क) चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में, अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकरण का रजिस्ट्रार होगा।

(ख) प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी, अध्यक्ष होगा या ऐसा सदस्य होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त अभिहित किया जाए।

(ग) समस्त आदेश, जो खण्ड (क) में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा, के विरूद्ध अपील, अध्यक्ष को होगी।

(घ) अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, राज्य शासन को होगी।

(ङ) जांच प्राधिकारी को साक्षियों को सूचना जारी करने और उन्हें उपस्थित होने और साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी।

(17) अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(18) विविध— किसी अन्य मामले, जिसके लिए इन नियमों द्वारा विशेष उपबंध नहीं किये गये हैं, के संबंध में सेवा की शर्तें, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अथवा इस प्रकार के अन्य व्यक्ति को, जैसी भी स्थिति हो, तत्समय यथा लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होगी।

60. अपीलों के निराकरण के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया.—

(1) यदि अपील प्राधिकारी यह पाता है कि प्रस्तुत की गई अपील, नियम 59 के किन्हीं उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह इस आशय का एक टीप अपील पर लिखेगा और वह, अपीलार्थी या उसके अभिकर्त्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे करने की सूचना की प्राप्ति के सात दिन की कालावधि के भीतर त्रुटियों को दूर करे या उस दशा में जबकि अपील, विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हो, तो उक्त कालावधि के भीतर कारण दर्शाये कि काल वर्जित हो जाने के कारण अपील उसे प्राधिकारी द्वारा क्यों न खारिज कर दिया जाए।

(2) यदि त्रुटि दूर कर दी जाती है या अपीलार्थी अथवा उसके अभिकर्त्ता द्वारा दर्शाये गये कारणों से अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है तो अपील प्राधिकारी अपील पर विचार करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) यदि अपीलार्थी या उसका अभिकर्त्ता त्रुटियों को दूर करने में या उक्त कालावधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कारण दर्शाने में विफल रहता है तो अपील प्राधिकारी, यदि अपील समय—सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है तो अपील को काल वर्जित मानकर खारिज कर सकेगा, उन मामलों में जहां सुनवाई किया जाना आवश्यक समझा जाए वहां अपील प्राधिकारी सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकेगा, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी या उनके अभिकर्त्ता को दी जाएगी।

(4) इस प्रकार नियत की गई तारीख पर, अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करेगा, अपीलार्थी या उसके अभिकर्त्ता को, यदि उपस्थित हो, तो सुनेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, किसी प्रक्रम पर, किसी अन्य दिन के लिए सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(6) जब अपील की सुनवाई पूर्ण हो जाए तो अपील प्राधिकारी तत्काल अपना निर्णय घोषित करेगा या निर्णय के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चिय या आदेश लिखित में होगा तथा उसकी एक प्रति अपीलार्थी तथा अन्य ऐसे पक्षकारों को, जिनके कि अपील प्राधिकारी की राय में विनिश्चय या आदेश से प्रभावित होने की संभावना है, प्रदाय की जाएगी।

61. सदस्यता के लिए आवेदन के निरस्त किये जाने के विरूद्ध अपील.—

(1) जहां सदस्यता के लिए आवेदन, धारा 19 की उप–धारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाए वहां उसकी अपील, रजिस्ट्रार को होगी।

(2) नियम 59 तथा 60 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उप–नियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने तथा उसके निपटारे के लिए लागू होंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th October 2014

NOTIFICATION

No. F 15-9/15-2/2013/3.—In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After Rule 43-A ,the following shall be inserted, namely:-

"43-B. Authorization by the Registrar to exercise the powers of board of any society.-

(1) Subject to the provision of sub-section(8) of Section 49 of the Act, the Registrar may authorize any Government official to exercise the powers of the board of any society :

Provided that the Registrar may by order in writing also authorize any person (non-official) to exercise the powers of the board of any such society.

(2) No person (non-official) shall be eligible for such authorization by the Registrar under this sub-section if:-

(a) He does not have at least four years experience of working as member of the board of the Co-operative society or bank, as the case may be;

(b) He is suffering from any of the disqualifications mentioned in Rule 44;

(c) He has been punished in case of corruption by any Court of law, Lok Ayog or the State Bureau of Investigation of Economic Offences.

(3) The screening committee shall recommend the name of eligible person (non-official) to Registrar under this rule, in such a manner as it may be deemed fit:

Provided that the Registrar at any time may by order in writing remove person authorized by him under this rule, without assigning any reason thereof.

(4) The screening committee mentioned in sub rule (3) shall consists of the following members, namely :-

(a) In case of a society whose area of operation is limited to one district-

(i)	District Collector	-	**President**
(ii)	Deputy/Assistant Registrar of the District	-	**Member (Ex-Officio Secretary)**
(iii)	District Officer of an Administrative Department related to the operations carried out by such Co-operative Society,	-	**Member**

In case business carried out by any such Co-operative Society relates to more than one department, one officer from such departments nominated by the Collector for this purpose shall be the Member.

(b) In case of a society whose area of operation extends to more than one district but is limited to one Revenue Division-

(i)	Commissioner of Revenue Division	-	**President**
(ii)	Joint Registrar of Division	-	**Member (Ex-Officio Secretary)**
(iii)	District Officer of an Administrative Department related to the operations carried out by such Co-operative Society	-	**Member**

In case business carried out by any such Co-operative Society relates to more than one department, one officer from amongst such departments nominated by the Divisional Commissioner for this purpose shall be the Member.

(c) In case of a society whose area of operation extends to more than one Revenue Division in the State-

(i)	Additional Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	-	**President**
(ii)	Secretary, Government of Chhattisgarh, Cooperation Department	-	**Member**
(iii)	Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh	-	**Member (Ex-Officio Secretary)**

Registrar, subject to the provisions of sub-section 8 of Section 49 of the Act, may authorize any person (non-official) to exercise the powers of the board of any such society on the basis of recommendations made by the screening committee."

2. After clause (k) of sub-rule (1) of Rule 44, the following shall be added, namely:-

"(l) has not availed the minimum level of required service, as may be provided in the bye-laws of such society;

(m) has been a shareholder of the society for last five years after election and has not attended any of the Annual General Meetings convened by the such society during last five years."

3. After Rule 49-B, the following shall be inserted, namely:-

"CHAPTER V-A

49-C. Rules regarding Short Term Co-operative Credit Structure Societies. –

(1) (a) In addition to occupancy tenant residing in the area of operation of primary agricultural credit co-operative society, such individual depositors, group of depositors or a group of borrowers functioning in the area of operation of the concerned society, who has made a minimum deposit of Rs.1 lakh in the saving accounts with the concerned society for a period of atleast one year shall also be eligible to become shareholder of such society. Required minimum deposit amount and period of such deposit may be revised by the Registrar, from time to time.

(b) Depositor, as mentioned under clause (a) above, if he so wishes to become a shareholder of the society, may apply in the form prescribed by such society or specified by the Registrar, if any, to the concerned society and he shall be admitted as a member by the society under the provisions of clause (a) of sub-section (6) of Section 57-B of the Act. In case he fails to maintain the minimum required deposit, he may gain eligibility again only on the date preceding which minimum required balance has been maintained by him continuously for a period of one year. Further, provisions in the byc-laws of such society with respect to the eligibility of the membership shall not apply to such depositing member, who has not taken loan.

(2) In case of a Short Term Co-operative Credit Structure Society, if the State Government has subscribed to its share capital, then there shall be one nominee of the State Government on the Board of the society, who shall be as follows -

(a) In case of a State Co-operative Bank, Registrar Co-operative Societies, Chhattisgarh or any officer nominated by him, who shall not be below the rank of Joint Registrar;

(b) In case of Central Co-operative Bank, Divisional Joint Registrar or any officer nominated by him, who shall not be below the rank of Deputy Registrar;

(c) In case of Primary Agricultural Credit Co-operative Society, Assistant/Deputy Registrar of the District or any officer nominated by him, who shall not be below the rank of Sub-Auditor.

The aforesaid Government nominee can take part in Board meetings of the concerned society:

Provided that such Government nominee shall have no voting rights in the election of the socicty."

4. For Rule 50, the following shall be substituted, namely :-

"50. Procedure for conducting audit. –

(1) The Registrar shall on the basis of volume of business, classification, qualification and experience prepare a panel of auditors or auditing firms under the provisions of sub-section (3) and (4) of Section 58 of the Act for all types of Co-operative Societies.

(2) For the purpose of conducting audit, the General Body of the concerned society shall appoint auditor from the panel of approved auditors or auditing firms in its general meeting for the current or next financial year as per the procedure laid down in this behalf:

Provided that in case of pending audit if any, the General Body of the society may appoint an auditor or auditing firms, from approved panel, for the purpose of completing audit of the accounts of previous financial year:

Provided further that no auditor shall be appointed to conduct audit of a particular society for a period of more than two consecutive financial years.

(3) Society shall also communicate to the Registrar or any authority authorized by the Registrar, about the appointment of the auditor within thirty days from the date of appointment of auditor by the General Body.

(4) (a) Auditor shall submit an audit report prepared on the basis of accounts examined by him and on the balance sheet and profit and loss accounts as on the date and for the period upto which the accounts have been audited, to the Registrar in the form specified by the Registrar and shall also state whether in his opinion of the concerned society or to the best of his information and according to the explanation given to him the said audit report shall state all the information required under the Act in the manner so required and give true and fair view of the following, namely:-

(i) in the case of balance sheet, of the state of society's affairs as at the end of the co-operative year upto which the accounts are made up and examined by him; and

(ii) in the case of profit and loss account, of the profit or loss for the co-operative year.

(b) The audit report shall state the following, namely:-

(i) whether the auditor has obtained all information and explanations which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

(ii) whether in his opinion proper books of accounts and registers as required by the Act, these rules, the bye-laws of the society have been kept by the society so far as it appears from the examination of these books; and

(iii) whether the balance sheet and profit and loss account examined by him are in agreement with the books of accounts and returns of the society.

(c) Where any of the matters referred above are answered in the negative or with a qualification, the audit report shall specify the reasons for the answer.

(d) The audit report shall also contain full particulars of the following, namely:-

(i) all transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, these rules or the bye-laws of the society;

(ii) all sums which ought to have been but have not been brought into accounts by the society;

(iii) any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realization of money due to the society;

(iv) any money or property belonging to the society which appears to the auditor to be bad or doubtful debt;

(v) Failure of the society to adhere with the prescribed norms regarding income recognition and assets classification, if any and in case of such societies to which prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India apply; and

(vi) any other matters specified by the Registrar in this behalf.

(e) The Registrar may direct that any portion of the audit report which appears to him to be of an objectionable nature or not justified by facts shall be expunged and the portion so expunged shall not form part of the audit report.

(f) The Registrar may from time to time, specify the form or forms in which the statements of accounts and information shall be prepared for audit by the society.

(g) On completion of the audit, the auditor shall award an audit classification to the society in accordance with the instructions issued by the Registrar, from time to time. The Registrar may, if he thinks necessary, amend the audit classification for reasons to be recorded in writing.

(5) If the Registrar is not satisfied with the audit report submitted to him, he may order a special audit of any such society by assigning a new auditor or auditing firm and by providing proper justifications.

(6) Every society shall submit a compliance report along with comments of auditor therein to the Registrar within a period of two months from the date of receipt of auditor's report.

(7) Audit report and financial statements shall be in Hindi.

(8) Audit report shall be placed before the Board meeting of the concerned society for its consideration and after that a copy of the audit report shall be submitted to the Registrar within stipulated time as provided in Section 56 of the Act.

(9) Audit report of every Apex Co-operative Society shall be laid before the State Legislative Assembly in the manner as may be laid down by the State Government in this behalf."

5. For Rule 50-A, the following shall be substituted namely:-

"50-A. Levy of audit fee.-

(1) Every society, the accounts of which are audited under Section 58 of the Act by departmental auditor, shall pay a charges to the State Government for the audit of its accounts for each co-operative financial year in accordance with the scale laid down in the Schedule in respect of the class of society to which it belongs. If the Audit Fee scale has not been laid down for chartered accountants, subject to such condition the Audit fee shall be paid by the societies to the Chartered Accountants, as mutually agreed.

(2) In case of audit conducted by a departmental auditor, the Registrar shall by an order in writing in a prescribed form, communicate the charges payable by the society under sub-rule (1), to be delivered personally or sent by ordinary post to address of the society.

(3) In case of audit conducted by a departmental auditor, audit fees shall be paid through challan and the fees shall be paid by society to the chartered accountants in the manner as mutually agreed or as may be prescribed by the Registrar in this regard, from time to time.

(4) Audit fees levied by the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue."

6. Rule 50-B shall stand omitted.

7. After Rule 51, following shall be inserted, namely:-

"**51-A. Laying of Audit report on Table of State Legislative Assembly.**- The Audit Report of every Apex Society shall be laid before the State Legislative Assembly as provided in sub-section (7) of Section 58 of the Act and for this purpose every Apex Co-operative Society shall submit its audit report to the State Government at the closing of each financial year, in such manner as may be prescribed in this regard."

8. For Chapter IX, the following shall be substituted, namely :-

"Chapter IX
Appeals and Review

59. Procedure to be followed for presentation of appeals and review.-

(1) An appeal to the Tribunal or the Registrar and an application for review to the Tribunal shall be presented during office hours by the appellant or the applicant, as the case may be, or by their duly appointed agent in the office of the appellate authority or review authority either in person or by registered post.

(2) When such an appeal or application for review is presented by an agent it shall be accompanied by the letter of authority of the appellant or applicant, as the case may be, appointing him as such.

(3) Every appeal or application for review shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal or review is preferred.

(4) Every appeal or application of review shall-
(a) be either type-written or hand-written in legible ink;
(b) specify the name and address of the appellant or applicant and also the name and address of the opponent, as the case may be;
(c) state by whom the order, against which the appeal or application of review is preferred, was made;

(d) clearly state the grounds on which the appeal or application is made;

(e) state precisely the relief which the appellant or applicant claims; and

(f) give the date of the order against which the appeal or review is preferred.

(5) On receipt of the appeal or application for review, the Tribunal or the Registrar, as the case may be, shall endorse on it the date of its receipt.

59-A. - Salary and other allowances, term and other conditions of service of the Chairman and Members of the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal. –

(1) Salary, Allowances, Pension and other perquisites payable to the Chairman and Member of the Tribunal during the term of appointment in the Tribunal, in case of retirement- When, Chairman or Member of the Tribunal at the time of his appointment as such, is a District Judge or a Departmental Member, as the case may be, and during his tenure as Chairman or Member he retires in accordance with the terms and conditions applicable to him prior to his appointment as Chairman or Member from the post of a District Judge or from the Co-operative Department, as the case may be, then also he shall continue as such till the completion of his tenure for which he has been appointed and from the date of retirement he shall be entitled to the last pay drawn and dearness pay and dearness allowance, interim relief and such other benefits appropriate to the last pay at the rates admissible from time to time to a District Judge or to an officer of the Co-operative Department, minus pension (including any portion of pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits, if any, as his pay and allowances.

(2) Pay, Allowances & Other perquisites –

(i) When Chairman of the Tribunal at the time of his appointment as such, is a retired Judge of the High Court and is in receipt of or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity or otherwise, he shall be entitled to such monthly pay (including dearness allowance) as was admissible to him at the time of retirement as Judge of the High Court and all such other allowances as are admissible

from time to time to a sitting Judge of the High Court, minus pension (including any portion of pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits, if any, as his pay and allowances.

(ii) When the Chairman of the Tribunal, at the time of his appointment as such, is a District Judge, he shall be entitled to the same pay and allowances and other perks and facilities as are admissible to him as District & Sessions Judge (as a member of a Higher Judicial Service).

(iii) A Departmental Member at the time of his appointment is an officer of Co-operative Department, he shall be entitled to the same pay and allowances admissible to him as an officer of Co-operative Department.

(iv) The non-official Member shall receive an honorarium of Rupees 1000/- per day-

(a) The officers and other employees of the Tribunal shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(b) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the Tribunal shall be governed by the State Government as Rules applicable to persons holding equivalent posts.

(3) Term of Office - The Chairman and other Members of the Tribunal may hold office not more than 5 years in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (5) of Section 77 of the Act, or up to the age of 67 years, whichever is earlier.

(4) Headquarters of the Chairperson and the Members - The headquarters of the Chairman and the Members shall be at Bilaspur.

(5) Hours of work and holidays - The working hours and holidays for the Chairman and Members and their office shall be such as may be specified in the regulation:

Provided that till regulations are made the working hours and holidays for the Chairman and Member and their office shall be the same and shall observe such public holidays as may be declared by the Government of Chhattisgarh and such local holidays as are declared by the local authorities, from time to time.

(6) Leave –

(i) The Chairman and the Members shall be entitled to earned leave on full pay and allowance up to 1/11th of the period spent on duty:

Provided that they shall cease to earn such leave when the total leave earned exceeds 300 days:

Provided further that the Chairman and the Departmental Member who at the time of his appointment as Chairman or Official Member was in the service of the State Government, the leave standing to his credit on the date of his appointment as Chairman or Official Member shall be carried forward and he may avail such leave during his tenure as Chairman or Official Member:

Provided also that the Chairman and the Members who retire from the service of the Tribunal, shall be entitled to the benefit of cash equivalent to leave salary in respect of earned leave at their credit on the date of their retirement subject to the maximum of 300 days.

(ii) The Chairman and Members shall be entitled to casual leave of thirteen days in a year.

(iii) In the matter of other types of leave, the Chairman and the Official Member shall be governed by the rules and practices as applicable to them before such appointment.

(7) Authority competent to grant leave - The authority competent to grant leave to the Chairman and Members shall be the State Government and for the Officers and staff of the Tribunal, the Chairman.

(8) Travelling Allowances –

(a) The Chairman, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as admissible to the Principal Secretary to the Government.

(b) The Members shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance and transportation of personal effects and other similar matters, at the scale and rates as admissible to Class I Officer of the State Government.

(c) The other conditions of service of Officers and Staff Members of the Tribunal shall be governed by the rules applicable to the officers and servants of the State Government in the same cadre.

(9) Leave Travel Concession - The Chairman, or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and the same scales and on the same conditions as applicable to Group "A" Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 22,400-525-25,400 or above.

(10) Facility for Medical Treatment - The Chairman and the Members of the Tribunal and the Members of their families shall be entitled to such facilities for medical treatment and for accommodation in Government Hospitals as admissible respectively to the Principal Secretary and the Class I Officer of the State Government and the Members of their families.

(11) Facility of accommodation –

(a) The Chairman and the Members shall be entitled, for official residence, in accordance with such rules as may, from time to time, be made in this behalf by the State Government.

(b) The Chairman shall be entitled to the facility of official telephone at par with the Head of the Departments of the Government and the Members shall be entitled to the same facility as is available to Class I Officer of the State Government.

(12) Conveyance Facility –

(i) The Chairman and member shall be entitled to the facility and use of Government car.

(ii) The Registrar of the Tribunal shall be entitled to the facility and use of Government car.

(iii) .There shall be staff car also in the Office of the Tribunal.

(13) Provident Fund - Till the age of superannuation, the Chairman and the Departmental Member shall be entitled to subscribe the General Provident Fund, in accordance with the rules regulating the Provident Fund, to which they were subscribing before their appointment as Chairman or Official Member.

(14) Financial Powers - The Chairman shall have all financial powers at par with the Head of the Departments as are delegated under the book of financial powers.

(15) Control & Discipline - All Officers and Employees of the Tribunal shall be subject to the superintendence and control of the Chairman.

(16) The provisions of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, shall be applicable to the Officers and Employees of the Tribunal, subject to the following :-

(a) In regard to Class IV, Class III and Class II employees the disciplinary authority shall be the Registrar of the Tribunal.

(b) In regard to Class I Officers the disciplinary authority shall be the Chairman or such Member as may be designated in this behalf by the Chairman.

(c) Appeal shall lie to the Chairman against all orders which may be passed by the authority prescribed in Clause (a).

(d) Appeal shall lie to the State Government against any order passed by the Chairman.

(e) The enquiry authority shall have power to issue notices to witnesses and to compel them to appear and give evidence or produce documents or both, as the case may be.

(17) The members of the Tribunal shall be appointed by the State Government.

(18) Miscellaneous - In respect of any other matter for which special provision is not made by these rules, the condition of service shall be governed by the Rules and the orders for the time being as applicable to the Judge of a High Court of Chhattisgarh and to such other persons, as the case may be.

60. Procedure to be followed in disposing of appeals.-

(1) If the Appellate Authority finds that the appeal presented does not conform to any of the provisions of Rule 59, it shall make a note on the appeal to that effect and may call upon the appellant or his agent to remove the defects within a period of seven days of the receipt of notice to do so or in case the appeal has not been presented within the prescribed time limit to show cause within the said period as to why it should not be dismissed as time-barred by the Appellate Authority.

(2) If the defect is removed or the cause shown by the appellant or his agent satisfied the Appellate Authority, the Appellate Authority may proceed to consider the appeal.

(3) If the appellant or his agent fails to remove the defects or to show cause to the satisfaction of the Appellate Authority within the said period, the Appellate Authority may if the appeal is not presented within the time limit dismiss the appeal as time-barred. In cases where it is considered necessary to give a hearing, the Appellate Authority may fix a date for hearing, of which due notice shall be given to the appellant or his agent.

(4) On the date so fixed, the Appellate Authority shall examine the relevant record, hear the appellant or his agent, if present, and pass appropriate order.

(5) The Appellate Authority may, at its discretion, adjourn the hearing for any other day at any stage.

(6) When the hearing of the appeal is completed, the Appellate Authority shall announce the judgment forthwith or may fix another date for the judgment.

(7) Every decision or order of the Appellate Authority shall be in writing and a copy of the same shall be supplied to the' appellant and such other parties as in the opinion of the Appellate Authority are likely to be affected by the decision or the order.

61.- Appeal against rejection of an application for membership.-

(1) Where an application for membership has been rejected under sub-section (4) of Section 19, an appeal shall lie to the Registrar.

(2) The provisions of Rule 59 and 60 shall mutatis-mutandis apply to the presentation and disposal of the appeal under sub-rule (1)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.